मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या-288 वर्ष 2017

1. अयोध्या प्रसाद पुत्र श्री पूरन लाल (मृतक का पिता)
2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी अयोध्या प्रसाद (मृतक की माँ)
3. श्रीमती सुधा पत्नी अजय कुमार (मृतक की पत्नी)
4. सुष्मिता पुत्री अयोध्या प्रसाद (मृतक की बहन)
निवासी मकान नं. 142 रौतयाना बवीना कैन्ट जिला झाँसी

-----याचीगण

प्रति

1. रघुराज सिंह पुत्र श्री परसुराम निवासी 643 खांदी-6 गनेशपुरा तालबेहट शंकर जी के मन्दिर के पास, ललितपुर उ.प्र. - 2841126

........पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. यू.पी. 94 टी 3426

2. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए मण्डलीय प्रबन्धक इलाईट चौराहा के पास सिविल लाईन, झाँसी

.........बीमा कम्पनी ट्रक नं. यू.पी. 94 टी 3426

3. श्याम मनोहर पुत्र राजेन्द उर्फ राजन निवासी बांदी (खांदी) तालबेहट जिला ललितपुर

.... चालक ट्रक नं. यू.पी. 94 टी 3426

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री एम. के. पारासर
विपक्षी सं. 1 व 3 के अधिवक्ता- एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित
विपक्षी सं. 2 के अधिवक्ता- श्री सुबोध कुमार वर्मा

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में अजय कुमार की मृत्यु के कारण ₹ 26,50,000/- क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचीगण के क्रमशः पुत्र, पति, पिता व भाई अजय कुमार बतौर हेल्पर ट्रक नं. यू.पी. 93 टी 9460 पर उसके मालिक श्री रवि प्रजापति के अधीन कार्यरत थे। दिनाँक 26.06.2017 को समय करीब 3 बजे सुबह शेखरघाट वेतवा पर व हद थाना बबीना में अजय कुमार मालिक के आदेश पर ट्रक के साथ बालू भरने के लिए खड़ा था, जैसे ही अजय ने ट्रक का डाला खोला तो एक अन्य ट्रक सं. 94 टी 3426 के अज्ञात चालक द्वारा बिना हॉर्न व बिना लाईट का संकेत दिये अपने उक्त ट्रक को लापरवाही से चलाकर बैक कर अजय को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे अजय कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसे उक्त दुर्घटना कारित ट्रक सं. 94 टी 3426 के चालक ने ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 9460 के सहयोग से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज, झाँसी में भर्ती कराया, जहाँ दौरान इलाज दिनाँक 26.06.2017 को ही शाम करीब 5.00 बजे अजय कुमार की दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उपरोक्त दुर्घटना की सूचना मृतक के ट्रक के चालक द्वारा थाना बवीना में दी गयी, किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तब याची सं. 1 द्वारा पुत्र शोक व उसके मृत्यु के संस्कारों से निवृत्त होने के बाद दिनाँक 04.07.2017 को थाना बवीना को उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु सूचित किया जिस पर अपराध सं. 157/2017 धारा-279,304 ए भा. दं. सं. व धारा 184 एम.वी. एक्ट ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 के चालक अज्ञात के विरूद्ध, पंजीकृत हुआ। मृतक की उम्र करीब 28 वर्ष थी तथा उसे उक्त ट्रक पर हेल्पर का कार्य करने से 8000/- रु. मासिक वेतन व भत्ता मिलता था।

3. विपक्षी सं. 1 रघुराज सिंह व विपक्षी सं. 3 श्याम मनोहर, जो कि प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 के क्रमशः पंजीकृत स्वामी व चालक हैं, ने पर्याप्त तामीला के बावजूद कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया है अतः न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 28.03.2018 के अनुसार विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध व विपक्षी सं. 3 के विरुद्ध न्यायाधिकरण के आदेश दिनाँकित 24.10.2018 के अनुसार प्रस्तुत याचिका में एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गई है।

4. विपक्षी सं. 2 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 की बीमा कम्पनी की ओर से 16 बी जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तो एवं लिये गये प्रीमियम के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। तथाकथित प्रश्नगत ट्रक के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह एम.वी. एक्ट व बीमा पॉलिसी की शर्तो के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था ता ऐसी दशा में विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदा किये जाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.21 12:28:57 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

6. याचीगण एवं विपक्षी सं. 2 के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 28.03.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

1. क्या दिनाँक 26.06.2017 समय करीब 3 बजे सुबह वहद स्थान शेखर घाट बेतवा वहद थाना बवीना अन्तर्गत थाना बवीना जिला झाँसी मे ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 के चालक ने उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पुत्र/पति/भाई अजय को पीछे से टक्कर मार दी जिससे अजय की मेडिकल कॉलेज, झाँसी में दौरान इलाज मृत्यु हो गयी ?

2. क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 के चालक के पास उक्त ट्रक को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था ?

3. क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 विपक्षी सं. 2 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित था ?

4. क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो किस विपक्षी से व कितनी?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:-

याचीगण की ओर से

<u>अभिलेखीय</u>

1. फेहरिस्त 7सी1 के माध्यम से 8सी1/1 लगायत 12सी1/5 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, 2 किता जी.डी., नमूना सील व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,
2. फेहरिस्त 23सी1 के माध्यम से 24सी1/1 लगायत 24सी1/9 प्रपत्र, जिनमें याचीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 सूचना अधिकार अधि. की प्रति, मूल रसीद, जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का मूल पत्र जिसके साथ संबंधित मांगे गये प्रपत्र रिपोर्ट थाना बवीन, आरोपपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।
3. फेहरिस्त 29सी1 से 30सी1 ड्राईविंग लाइसेंस श्याम मनोहर, 31सी1 नक्शा नजरी की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

पी.डब्लू.1 अयोध्या प्रसाद याची सं. 1 मृतक का पिता , पी.डब्लू.2 महेश बाबू चालक ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 9460 चक्षुदर्शी

विपक्षीगण की ओर से-

विपक्षीगण की ओर से कोई अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है,

8. मैंने वर्चुअल कोर्ट में याचीगण व विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया। विपक्षी सं. 1 व 3 की ओर से दौरान बहस भी कोई उपस्थित नहीं आया ।

9. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>**

वाद बिन्दु सं.1 को साबित करने के लिये याचीगण की ओर से 8सी1/1 लगायत 8सी1/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट, 9सी1/1 लगायत 9सी1/7 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, 9सी1/8 लगायत 9सी1/9 पंचायतनामा की छाया प्रति, 24सी1/6 लगायत 24सी1/7 आरोपपत्र की छाया प्रतियाँ, 31सी1 नक्शा नजरी की छाया प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 अयोध्या प्रसाद याची सं. 1 मृतक का पिता व चक्षुदर्शी पी.डब्लू.2 महेश बाबू चालक ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 9460 को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.1 चक्षुदर्शी नहीं है किन्तु उसने अपनी साक्ष्य में याचिका के कथनों का समर्थन करते हुये साक्ष्य दी है। पी.डब्लू.2 महेश बाबू ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 9460 का चालक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 9460 पर ड्राईवर था। उसके मालिक रवि प्रजापति थे। उनकी सहमति से अजय को बतौर क्लीनर ट्रक पर रखा गया था। उसने ट्रक को बालू भरने के लिए शेखर घाट बवीना पर सुबह 2:00 बजे दिनाँक 26.06.2017 को खड़ा किया था। उसने क्लीनर अजय को डाला लगाने के लिए कहा था जैसे ही वह डाला लगाने गया तभी बैक कर रहे ट्रक नं. यू.पी. 94 टी 3426 के चालक ने बिना हॉर्न बजाये तेजी व लापरवाही से चलाकर अजय को टक्कर मार दी। फिर वही ट्रक का चालक व वह अजय को 26.06.2017 को सुबह 3.00 बजे मेडिकल कॉलेज लाया था। उसने अपने मालिक रवि प्रजापति व अजय के परिवार वालों को घटना की सूचना दी थी। इसके बाद सूचना पर अयोध्या प्रसाद आ गये थे। बाद में पता चला था कि अजय की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी बयान दिया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के ड्राईवर को मालूम नहीं था कि अजय खड़ा है। वह दोनों ट्रकों के बीच में दब गया था। यह घटना अचानक हो गई थी। घटना स्थल पर लाईटें नहीं जल रही थीं, लेकिन उजाला पर्याप्त था। आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि वह मृतक का चाचा होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास नहीं आया है जिससे की इस साक्षी की साक्ष्य पर सन्देह किया जा सके।

10. पत्रावली पर दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के पिता द्वारा दिनाँक 26.06.2017 की

दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक 04.07.2017 को ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 3426 के चालक अज्ञात के विरूद्ध अंकित कराई है, जिसमें वर्णित तथ्य याचीगण द्वारा याचिका में किये गये कथनों से मेल खाते है। आरोप पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 3426 के चालक श्याम मनोहर पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजन (विपक्षी सं.3) को ही अभियुक्त बनाया है तथा उसके विरूद्ध धारा 279,304 ए भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपपत्र दाखिल किया है। 31 सी1 नक्शा नजरी की छाया प्रति भी याचीगण की ओर से पत्रावली पर दाखिल की गई है जिसमें विवेचक द्वारा x बिन्दु से घटना स्थल को दर्शित किया गया है जो निम्न प्रकार हैः-

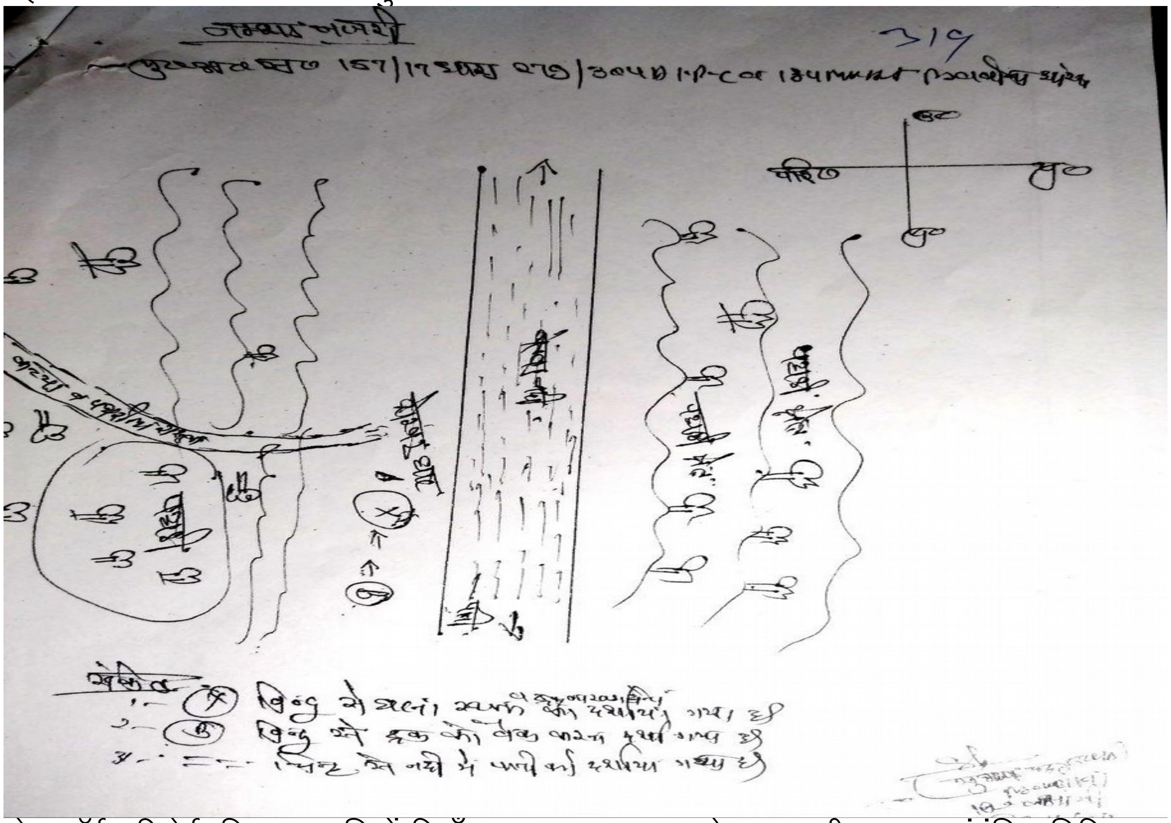

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रति में दिनाँक 27.06.2017 को 2:20 पी.एम. पर संबंधित चिकित्सक द्वारा मृतक का पोस्टमॉर्टम किया जाना अंकित किया है, जिसमें संबंधित चिकित्सक ने मृतक की मृत्यु का कारण शॉक एण्ड हेमरेज एन्टीमॉर्टम इंजरीज आने से होना अंकित किया है। चिकित्सक ने दाहिने पैर के उपरी उक तिहाई हिस्से के अग्रपाश्विक भाग मे 5 गुणा 2 से.मी. की रगड़ की चोट पायी है तथा अंदरूनी जाँच मे फटा हुआ मूत्राशय व उदर गुहा मे 200 मि.ली. रक्त पाया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि दो ट्रकों के बीच दब जाने से मृतक को जानलेवा चोटें आयीं। पंचायतनामा की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक का पंचायतनामा दिनाँक 27.06.2017 को किया गया है, जिसमें राय पंचान में मृतक अजय की मृत्यु मोटर वाहन दुर्घना में आई चोटों के कारण हुई है। विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट सोच-समझकर बिलंब से अंकित हुई है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (**18.02.2011-SC)**: MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -20 और 21]* प्रस्तुत प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जो लगभग 7 दिन का बिलम्ब हुआ है जिसका स्वीकार्य स्पष्टीकरण मृतक के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह दिया गया है कि वह क्रिया कर्म व शुद्धता से निवृत्त होने के पश्चात रिपोर्ट लिखाने आया है।

विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह भी तर्क दिया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना ट्रक सं. यू.पी. 93 टी 3426 के चालक की तेजी व लापरवाही से नहीं हुई है बल्कि उक्त दुर्घटना उक्त दोनों ट्रकों के सामने से अचानक टकरा जाने के कारण हुई है जो दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आती है अतः याचीगण प्रस्तुत दुर्घटना के संबंध में कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी नहीं हैं। विधि व्यवस्था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तरा देवी और अन्य (27.03.2012 – CGHC) : MANU/CG/0197/2012 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने अवधारित किया है कि *वाहन को बैक करते समय चालक को खुद को आश्वस्त करना चाहिए था कि कोई भी वाहन के पीछे नहीं था और उस प्रयोजन के लिए क्लीनर को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए था और क्लीनर की अनुपस्थिति में, चालक को कम से कम लापरवाही से वाहन को बैक नहीं करना चाहिए था, कहने का आशय यह कि बगैर पुष्टि किए कि कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा था बैठा था वाहन बैक किया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बिना किसी एहतियात के वाहन को बैक करते समय चालक लापरवाह नहीं*

था। विधि व्यवस्था बिमला देवी और अन्य **बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और अन्य (15.04.2009 - एससी)**: MANU/SC/0577/2009 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निष्कर्ष को उचित धारित किया है कि *चालक और कंडक्टर को हॉर्न या सीटी बजाए बिना या पीछे खड़े व्यक्तियों संकेत दिए बिना बस को पीछे की दिशा में पीछे करने में लापरवाह माना जाएगा।*
विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा किसी अन्वेषक आख्या को दाखिल नहीं किया गया है न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल की गई है और न ही किसी मौखिक साक्षी को न्यायाधिकरण में परीक्षित कराया गया है। मात्र यह तथ्य कि मृतक चक्षुदर्शी साक्षी का भतीजा था साक्षी के साक्ष्य पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नही है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक 26.06.2017 समय करीब 3 बजे सुबह वहद स्थान शेखर घाट बेतवा वहद थाना बवीना अन्तर्गत थाना बवीना जिला झाँसी मे ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 के चालक ने उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बैक करते हुए टक्कर मार दी जिससे याचीगण के पुत्र/पति/भाई अजय घायल हो गए तथा उनकी मेडिकल कॉलेज, झाँसी में दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 याचीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध मे पत्रावली पर याचीगण की ओर से 30 सी1 चालक श्याम मनोहर के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनॉक 13.06.2006 से 08.06.2020 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। घटना दिनॉक 26.06.2017 की है। श्याम मनोहर के विरुद्ध चालक के रूप मे आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन प्रपत्रों का खंडन बीमा कंपनी द्वारा नही किया जा सका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना के दिनाँक व समय पर ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 के चालक के पास उक्त ट्रक को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। तनुसार वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रपत्र सं.11 सी1 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 का बीमा दिनाँक 10.03.2017 से 09.03.2018 तक वैध एवं प्रभावी है। याचीगण की ओर से ही प्रपत्र सं. 10 सी1 प्रश्नगत ट्रक के पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति भी दाखिल की गई है। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र का खंडन विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक 26.06.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना के दिनाँक व समय पर ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 विपक्षी सं. 2 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित था। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 26.06.2017 समय करीब 3 बजे सुबह वहद स्थान शेखर घाट बेतवा वहद थाना बवीना अन्तर्गत थाना बवीना जिला झाँसी मे ट्रक सं. यू.पी. 94 टी 3426 के चालक ने उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पुत्र/पति/भाई अजय को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे अजय की मेडिकल कॉलेज, झाँसी में दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। पी.डब्लू.1 के रूप में याची सं. 1 ने बयान दिया है कि मेरे पुत्र पर सभी याचीगण पूर्णतः निर्भर थे। अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है? चूँकि वाद बिन्दु सं. 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 2 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

14. क्षतिपूर्ति की गणना-

पी.डब्लू. 1 व पी.डब्लू. 2 जो कि मृतक के क्रमश: पिता व चाचा हैं, हितबद्ध साक्षी है ने मृतक की आय ₹ 8,000/- प्रति माह बताई है किंतु उसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसके पास उसके लड़के की आय के संबंध में कोई कागजात नहीं है। उसके लड़के को क्लीनर के कार्य हेतु कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह धारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा की मृतक की आय ₹ 8000/- मासिक थी। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था लक्ष्मी देवी व अन्य प्रति मोहम्मद तब्बार व अन्य (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था चंद्रावती प्रति व सुशील कुमार अन्य (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 में माननीय उच्च न्याालय, इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 निर्धारित की जाती है।

15. याचीगण ने याचिका में मृतक अजय कुमार की उम्र 28 वर्ष अंकित की है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची सं. 1 ने भी मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 28 वर्ष होना बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा में मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष अंकित है। प्रपत्र सं. 12 सी1/5 मृतक अजय कुमार का आधार कार्ड है जिसमें अजय कुमार की जन्मतिथि 08.03.1988 अंकित है। अतः आधार कार्ड मे अंकित जन्मतिथि 08.03.1988 विश्वसनीय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा में मृतक की अंकित उम्र लगभग 35 आयु का निश्चायक सबूत नही है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ की मृतक की आयु दुर्घटना के समय 29 वर्ष की थी।

गंगाराजू सोमीनी और अन्य बनाम अलावाला सुधाकर रेड्डी और अन्य (01.02.2016 - HYHC) : MANU/AP/0096/2016 के मामले में यह प्रेक्षित किया गया है कि "हमें याद रखना चाहिए कि एक भारतीय परिवार में, भाइयों, बहनों और भाइयों के बच्चे और कुछ समय के पालक बच्चे एक साथ रहते हैं और वे परिवार के ब्रेडविनर पर निर्भर हैं और यदि ब्रेडविनर एक मोटर वाहन के कारण मारा जाता है दुर्घटना, उन्हें मुआवजे से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है....."

यह तर्क दिया जाता है कि पिता और बहन मृतक पर निर्भर नहीं थे। मेरे विचार में शुशमा थॉमस मामले के बाद से विधि बहुत स्पष्ट है। निर्भरता के इन सिद्धांतों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर और अन्य (30.06.2020 - एससी): MANU / SC / 0500/2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने दोहराया है। प्रासंगिक हिस्से को यहां पुन: पेश किया जा रहा है-

> *"43.6. व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्च में कटौती के रूप में, यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 38 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के अधीन ट्रिब्यूनल आमतौर पर सरला वर्मा MANU / SC / 0606/2009: (2009) 6 SCC 121 में निर्णय के पैराग्राफ 30, 31 और 32 में निर्धारित मानकों का पालन करेगा। .... "*

पी.डब्लू.1 अयोध्या प्रसाद याची सं. 1 मृतक का पिता कथन किया है कि उसके पुत्र पर सभी याचीगण निर्भर थे। प्रस्तुत मामले में सकारात्मक सबूत हैं जो यह दर्शाता है कि पिता और बहन भी मृतक पर निर्भर थे जिनका खंडन बीमा कंपनी द्वारा नही किया जा सका है।

विधि व्यवस्था नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड प्रति प्रणय सेठी व अन्य (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 17 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के खर्च पर 1/5 भाग की कटौती, याचीगण के पुत्र, पति, व भाई की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000 याची सं. 3 श्रीमती सुधा जो कि मृतक की पत्नी है, के वैवाहिक सहचर्य की क्षति के मद में 40,000/-रु., दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			3	27720
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				55440
गुणक			17	942480
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	982480
संपदा की क्षति			15000	997480
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	**1012480**
देय क्षतिपूर्ति				**1012480**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ **10,12,480/-** आती है। विधि व्यवस्था नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड प्रति मन्नत जोहाल व अन्य (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याची सं.1 अयोध्या प्रसाद मृतक का पिता है, याची सं. 2 श्रीमती लक्ष्मी मृतक की माँ, याची सं.3 मृतक की पत्नी व याची सं. 3 सुष्मिता मृतक की अविवाहित बहन, होना बताया गया है। अतः मामले की समस्त परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये याची सं. 1 लगायत 4 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: ~~15, 20, 35, 30~~ 10,40,40,10 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था जय प्रकाश प्रति नेशनल इंस्योरेंश कं. लि. (17.12.2009-SC) : MANU/ SC/ 1949/2009 व एम. आर. कृष्णा मूर्ति प्रति द न्यू इंडिया इंस्योरेंस कं . लि.

(05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि मे से 75% धनराशि की एन्युटी बनाया जाना न्यायोचित होगा।तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 1 व 3 के विरुद्ध संयुक्त व एकल रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 10,12,480 (दस लाख बारह हजार चार सौ अस्सी) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 2 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप मे याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अंतरण करते समय याचिका संख्या का संदर्भ अवश्य दिया जाएगा तथा बीमा कंपनी द्वारा ट्रांजेक्सन संख्या न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in और mactjhansi@gmail.com के माध्यम से सूचित किया जाएगा। याची सं. 1 लगायत 4 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 10, 40, 40, 10 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें। याचीगण प्रत्येक की 75% धनराशि की 3 वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक 19.11.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 19.11.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

Typing error in 3rd line from below of preceeding page corrected vide order dated 21.11.2020.

PO
MACT JHANSI
21.11.2020